Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 13/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, प्रथम जुलाई, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, अनुसूची में,–

(i) क्रम संख्या 32 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''90 0507'' अंकों के स्थान पर, ''0507 90'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 39 के सामने, ''माल का विवरण'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''लेट्यूस (लैक्टूका सैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द्रुतशीतित'';

(iii) क्रम संख्या 49 के सामने, ''माल का विवरण'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''अन्य नट्स ताजे जैसे कि बादाम, हेजलनट या फिलबर्ट, (कोरिअस सभी प्रजातियां), अखरोट, चेस्टनट (कास्टानिया सभी जातियां), पिसटाशिओ, मकैडमिया नट्स, कोला नट्स (कोला सभी जातियां), ऐरिका नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं'';

(iv) क्रम संख्या 63 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''10 11 0910'' अंकों के स्थान पर, ''0910 11 10'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(v) क्रम संख्या 64 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''10 30 0910'' अंकों के स्थान पर, ''0910 30 10'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 93 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''40 90 1404'' अंकों के स्थान पर, ''1404 90 40'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vii) क्रम संख्या 101 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''90 90 2202'' अंकों के स्थान पर, ''2202 90 90'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(viii) क्रम संख्या 103 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रथम जुलाई, 2017 से चौदह नवम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
''103	2501	सभी किस्मों के नमक'';

और पन्द्रह नवम्बर, 2017 से आगे की अवधि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
''103	2501	नमक (टेबल नमक और विकृतनमक) और शुद्ध सोडियम कलोराईड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी–केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंटयुक्तय समुद्र जल''।

(ix) क्रम संख्या 104 तथा उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
104	2716 00 00	विद्युतीय ऊर्जा''

(x) क्रम संख्या 115 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''4907/4802'' अंकों के स्थान पर, ''4802/4907'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xi) क्रम संख्या 116 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''4907/4817'' अंकों के स्थान पर, ''4817/4907'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xii) क्रम संख्या 117 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''4907/48'' अंकों के स्थान पर, ''48/4907'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xiii) क्रम संख्या 135 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''40 00 6912'' अंकों के स्थान पर, ''6912 00 40'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xiv) क्रम संख्या 146 के सामने, ''अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद'' शीर्ष के नीचे, ''00 00 9610'' अंकों के स्थान पर, ''9610 00 00'' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(xv) क्रम संख्या 148 के सामने, ''माल का विवरण'' शीर्ष के नीचे, मद (प) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय के गोबर, देशी घी, दूध और दही का मिश्रण);'';

(xvi) क्रम संख्या 149 के सामने, ''माल का विवरण'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लाटरी की पूर्ति, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी लाटरी की पूर्ति पर, जब इसकी पूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर भुगतता है।''।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

55902—C.S.—H.G.P., Chd.